Miscellaneous Case No – 17/2018
Dist. - Nawada

==========

Mining Officer, Nawada
Vs.
M/s-Jai Mata Di Enterprises.

==========

आदेश

23.03.2018

C.W.J.C. No.-4131/2018 मे०जय माता दी इंटप्राईजेज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 19.03.18 को पारित आदेश द्वारा इस वाद में दिनांक 12.03.2018 के आदेश पर इस आधार पर स्थगन अधिरोपित किया गया है कि, खान आयुक्त द्वारास्वत: पुनरीक्षण के अधिकार को मूल क्षेत्राधिकार की तरह उपयेाग करते हुए उक्त आदेश पारित किया गया है जबकि बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के तहत संदर्भित मामले में मूल प्राधिकार द्वारा कोई आदेश पारित ही नही किया गया है, इसलिए यह किसी आदेश का पुनरीक्षण नहीं होने के कारण न्यायादेश से इसे स्थगित कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 में खनन पट्टा निलंबित/रद्द करने की खान आयुक्त की शक्ति, मूल क्षेत्राधिकार में प्रावधानित है।परन्तु इस नियमावली पर C.W.J.C. No.-15965/2017 पुष्पा सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 27.11.2017 को स्थगनआदेश अधिरोपित है,जिससे बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 पुनः प्रवृत है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा भी SLP(C) No. 33129/2017 में दिनांक 15.12.2017 को पारित आदेश द्वारा पूर्व वर्णित माननीय उच्च न्यायलय के स्थगन आदेश को बरक़रार रखा गया है। ध्यातव्य है कि प्रभावी नियमावली, 1972 में खान आयुक्त को खनन पट्टा निलंबित अथवा समाप्त करने का मूल क्षेत्राधिकार नहीं है।

अतः संदर्भित न्यायादेश के आलोक में इस वाद में तत्कालीन खान आयुक्त के आदेश को वापस लेते हुए, मामले को गुण-दोष पर विचार कर उचित निर्णय लेने का निदेश समाहर्ता, नवादा को दिया जाता है। समाहर्ता, नवादा सम्बंधित बन्दोबस्तधारी को नियमानुसार सुनकर गुण-दोष के आधार पर शीघ्र उचित निर्णय लेंगे।

ह0/–
(अतुल प्रसाद)
खान आयुक्त
बिहार, पटना

ज्ञापांकः–...../एम0, पटना, दिनांक .....
प्रतिलिपिः–निदेशक, खान/समाहर्त्ता, नवादा/सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, नवादा/मेसर्स जय माता दी इन्टरप्राइजेज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–1555...../एम0, पटना, दिनांक 23.3.18.....
प्रतिलिपिः–श्री नरेश दीक्षित, विशेष लोक अभियोजक, खान को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि माननीय न्यायालय में दायर याचिका को निष्पादित कराया जाय।

23/3/2018
सरकार के विशेष सचिव